



## ● बीआरकेजीबी–सरल व्यापार ऋण योजना

1.	उद्देश्य	व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु
2.	सीमा निर्धारण का तरीका	इस योजना के तहत व्यापारियों को स्वीकृत ऋण सीमा की गणना निम्नानुसार की जावेगी जो कि आवश्यकता आधारित होगी। 1. अनुमानित वार्षिक बिक्री (Projected Sale) का 20 प्रतिशत या 2. सभी क्षेत्र (शहरी, अर्द्ध शहरी, ग्रामीण) की शाखाओं के लिए अधिकतम सीमा ₹100.00 लाख या 3. प्रतिभूति में प्रस्तावित अचल सम्पत्ति के वर्तमान बाजार मूल्य/वास्तविक मूल्य का 60 प्रतिशत (बिन्दु क्रमांक 1, 2 व 3 में जो भी कम हो।)
3.	पात्रता	योजनान्तर्गत व्यक्ति, एकल स्वामित्व/साझेदार फर्म/ कम्पनी ऋण स्वीकृति हेतु पात्र होगी। जो दो वर्ष से अधिक समय से किसी भी उत्पाद/माल के व्यापार, सेवा में संलग्न (जो कि विधि द्वारा प्रतिबंधित एवं लोकहित के विरुद्ध न हो) है।
4.	ब्याज दर	समय समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार।
5.	मार्जिन	1. प्रस्तावित अचल सम्पत्ति के मूल्य का 40 प्रतिशत 2. हमारे बैंक की सावधि जमा पर 10 प्रतिशत 3. भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी के सरेण्डर मूल्य पर 15% 4. एनएससी, सरकारी बॉण्ड की फेश वेल्यू पर 15%
6.	अवधि	1. अधिविकर्ष सुविधा – 12 माह (वार्षिक समीक्षाधीन) 2. आवधिक ऋण – 60 माह (वार्षिक समीक्षाधीन)
7.	प्रतिभूति	इस योजना के तहत सम्पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भूमि (अकृषि), भवन, राष्ट्रीय बचत पत्र, अपने बैंक की सावधि जमा रसीदें, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी बीमा पॉलिसी